न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11-11-25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/12/25 को पेश हो। [signature] 22/12/25 अधिवक्ता मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 02/02/26 को पेश हो [signature] SDO. 02/02/25 पत्रावली पेश। वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। बार-बार आवाज दिलाये जाने के बाद भी वकील वादी अनुपस्थित रहे व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो। [signature] SDO	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रमेश चन्द बनाम रामकरण

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/139/2025

17.09.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अराल अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 382 खसरा संख्या 1454/0.07, 1457/0.03, 1458/0.04, 1462/0.03, 1463/0.13, 1464/0.03, 1467/0.10, कुल किता 7 कुल रकबा 0.43 है0 व खाता संख्या 528 खसरा संख्या 1465/0.08, 1466/0.09, 1474/0.12 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 वाके ग्राम खोह तहसील टहला जिला अलवर में विवादित आराजी के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करे, न करावे, ना ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखलन कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें, ना ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे। अन्त में उक्त विवादित आराजी के रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी की मुताबिक जमाबन्दी आराजी खाता संख्या 382, 528 वाके ग्राम खौह तहसील टहला जिला अलवर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *हाल आराजी खाता संख्या 382 खसरा संख्या 1454/0.07, 1457/0.03, 1458/0.04, 1462/0.03, 1463/0.13, 1464/0.03, 1467/0.10, कुल किता 7 कुल रकबा 0.43 है0 व खाता संख्या 528 खसरा संख्या 1465/0.08, 1466/0.09, 1474/0.12 कुल किता 3 कुल रकबा 0.29 वाके ग्राम खौह तहसील टहला जिला अलवर* में आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावन्द किया जाता है। प्रार्थीगण को निदेशीत किया जाता है कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (3) के प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त अन्तरिम आदेश को आयन्दा/आगामी तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को संशोधन/वैकेट कर दी जावेगा। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 11.11.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेशों की पालना के आदेशों, विधुत कनेक्शन व लाईन डालने तथा न्यायालय में विचाराधीन रास्ते–रोडा व अन्य राजकिय वसुली के प्रकरणों में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नही होगी।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	17-11-25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 22/11/25 को पेश हो। रीडर 22/12/25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य इस्तगाईत रीक सपथा, स्थगित किया है। दिनांक 02/02/26 को पेश हो S.D.O. 02/02/26 पत्रावली पेश। वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। मुकदमा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रावधान धारा 2012 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद पूर्ति मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO	